दिनांक 01.11.2022
प्रेस विज्ञप्ति 01/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उ0प्र0पुलिस के 'Insignia' release ceremony का आयोजन

आज दिनॉकः 01.11.2022 को श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में उ0प्र0 पुलिस के 'Insignia' release ceremony के महत्वपूर्ण अवसर पर यू0पी0 पुलिस के प्रतीक चिन्ह (Insignia) का अनावरण और विमोचन किया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस भारत गणराज्य के सबसे पुराने पुलिस विभागों में से एक है, और दुनिया में सबसे बड़ा पुलिस बल है, जिसमें लगभग 74 जिला पुलिस विभाग और 4 कमिश्नरेट हैं। पुलिस अधिनियम 1861 के तहत, सन् 1863 में संयुक्त प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। आज यह 159 वर्ष पुराना है। जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है।

पुलिस कार्य के सभी क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, यूपी पुलिस को राष्ट्रपति का कलर (President's Colours) 13 नवम्बर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया । यह सम्मान प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस बल होने का गौरव उ0प्र0 पुलिस को प्राप्त हुआ था। इस तरह का सम्मान देश के पुलिस बलों में सबसे पहले मिलना बड़े प्रतिष्ठा की बात है।

आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर और अधिक प्रभावी पुलिसिंग के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने 15 अगस्त, 2022 को इस शानदार विचार की कल्पना की और हम यूपी पुलिस की पूरी रैंक और फाइलों को यह देने का फैसला किया और हमारी वर्दी को गर्व के इन रंगों से आज सजाया जा रहा है।

प्रतीक चिन्ह बनवाने की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ को सौंपी गई। श्री प्रशान्त कुमार अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था उ0प्र0 के निकट पर्यवेक्षण में यह कार्य सम्पादित किया गया। प्रतीक चिन्ह को डिजाइन करने में मदद करने के लिए फैशन डिजाइनर, सुश्री पूर्णिमा भिक्ता जो निफ्ट से पास आउट हैं की सहायता ली गई। प्रतीक चिन्ह को यूपी पुलिस नियम 1986 के अध्याय 1 के तहत प्रस्तावित किया गया है, जहॉ पुलिस महानिदेशक को वर्दी के पैटर्न को निर्धारित करने का अधिकार है। 31 अक्टूबर, भारत के लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनायी जाती है। इसी क्रम में आज उ0प्र0 पुलिस के प्रतीक चिन्ह को लॉन्च कर जारी किया गया ।

वर्दी के दाहिने हिस्से में नेम प्लेट के ऊपर प्रतीक चिन्ह पहना जाएगा। यूपी पुलिस में इस्तेमाल किए जाने वाले दो रंग ‘‘नेवी ब्लू और रेड’’ हैं और प्रतीक चिन्ह में यह रंग और शेड शामिल किए गए हैं। उ0प्र0 पुलिस के सभी रैंक यह प्रतीक चिन्ह अपनी वर्दी पर धारण करेंगे।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उक्त समारोह में उ0प्र0 पुलिस Insignia (प्रतीक चिन्ह) को रिलीज करते हुये श्री आनन्द कुमार पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, श्रीमती रेणुका मिश्रा पुलिस महानिदेशक एसएसआईटी, श्री बी0के0 मौर्या पुलिस महानिदेशक होमगार्ड, श्री एन0एन0 सावत पुलिस महानिदेशक पावर कारपोरेशन, श्री अविनाश चन्द्रा पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस, डा0 संजय एम0 तरडे पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, श्री एम0के.0बशाल अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा, डा0 संजीव गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था, श्री ए0पी0 सिंह पुलिस अधीक्षक यातायात, सुश्री श्वेता श्रीवास्तव अपर पुलिस अधीक्षक एसएसआईटी, सुश्री सौम्या पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0, श्री सच्चिदानन्द राय निरीक्षक प्राईवेट सुरक्षा अधिकरण, श्री नजर अब्बास उप निरीक्षक रेलवे, श्री शशांक बाबू शुक्ला मुख्य आरक्षी यातायात निदेशालय व सुश्री पूजा कार्की महिला आरक्षी एएनटीएफ को प्रतीक चिन्ह लगाया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

I.P.S.

जनपद गाजियाबाद/थाना सिहानी गेट

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये सोने के आभूषण**
- **लूटे गये 15 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 01.11.2022 को थाना सिहानी गेट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हमदर्द चौराहे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिससे एक हेड कान्सटेबल घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुधीर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये सोने के आभूषण, लूटे गये 15 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ, उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिहानीगेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0–617/2022 धारा 395/397/412/120बी भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुधीर निवासी ग्राम विरौडी थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूटे गये सोने के आभूषण।

2—लूटे गये 15 हजार रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा—2</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 31.10.2022 को थाना बीटा—2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गामा—1 गोल चक्कर पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त आशू उर्फ बिट्टू उर्फ हरेन्द्र घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर लूट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बीटा—2 पर पंजीकृत मु0अ0सं0—649/2019 धारा 392/411 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आशू उर्फ बिट्टू उर्फ हरेन्द्र निवासी मैदामई थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस, वर्तमान निवासी सेक्टर–8 नोएडा।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस

जनपद भदोही/थाना सुरियावां

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **छिनैती के 10 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 31.10.2022 की रात्रि थाना सुरियावां व क्राइम ब्रान्च की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुसौली नहर पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–संदीप व 2–संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 10 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध हत्या का प्रयास, छिनैती, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन छिनैती की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना थाना सुरियावां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संदीप निवासी सुल्तानपुर थाना भदोही जनपद भदोही।

2–संदीप कुमार निवासी ग्राम वारी दशरथपुर थाना सुरियावॉ जनपद भदोही।

बरामदगी

1–छिनैती के 10 मोबाइल फोन।

2–01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

- **जनपद श्रावस्ती/थाना मल्हीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे/एफटीसी जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना मल्हीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामकुमार को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को 07–07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे/एफटीसी–प्रथम जनपद एटा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–होडिल 2–सोरन 3–मौहरपाल 4–दाताराम को 07–07 वर्ष के कठोर कारावास व 10–10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————